NJ-1213

B.Com. (Part - III) Examination, Mar.-Apr., 2023

Compulsory Group - I
Paper : I

INCOME TAX

Time Allowed: Three Hours

Maximum Marks: 75

Minimum Pass Marks: 25

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Answer all questions. All questions carry equal marks.

इकाई-I / UNIT-I

Q. 1. "'आयकर' गत वर्ष की आय पर लगता है।" क्या आप इससे
पूर्णतः सहमत हैं ? यदि नहीं, तो अपवाद बताइए।
"Income tax is charged on the income of the
previous year." Do you fully agree with this statement
? If not, what are the exceptions ?

अथवा / OR

मिस्टर राममोहन 1945 में लाहौर में पैदा हुए थे। वह अमेरिका में 1980 से रह रहे हैं। वह भारत भ्रमण पर 2-10-2021 को आये और 30-3-2022 को वापस चले गये। कर-निर्धारण वर्ष २०२२-२३ के लिए उनकी निवासीय स्थिति का निर्धारण कीजिए। (माना कि उनकी आय (विदेशी आय को छोड़कर) ₹ 8 लाख है)। Mr. Rammohan was born at Lahore in 1945. He has been staying in America since 1980. He came to visit India on 2-10-2021 and returned on 30-03-2022. Determine his residential status for the assessment year 2022-23. (Assune total income (excluding foreign income) is ₹ 8 lakhs).

(b) श्रीमती एक्स जो कि अमेरिका की नागरिक हैं, पहली बार वर्ष 2015-16 में भारत आई थीं और यहाँ 100 दिन तक रुकीं। गतवर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2022-23 में वह 150 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 190 दिन एवं 94 दिन क्रमशः भारत में रहीं। कर-निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए इनका निवासीय स्थित बताइए।

Smt. X an American citizen comes to India for the first time in previous year 2015-16 for 100 days. During previous years, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2022-23, she stayed in India for 150 days, 100 days, 120 days, 190 days and 94 days, respectively. Determine her residential status for assessment year 2022-23.

इकाई-II / UNIT-II

Q. 2. मि. डी. श्री निवासन एक सरकारी अधिकारी हैं। गत वर्ष 2021-22 की उनकी प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं:

NJ-1213

P.T.O.

(1) मूल वेतन 12,000 ₹ प्रित माह, महंगाई भत्ता वेतन का 150 प्रितशत (सेवा की शर्तों के अधीन), नगर क्षितपूरक भत्ता 200 ₹ प्रित माह। 1 जनवरी, 2021 को उनका पुनरीक्षित वेतन 36,000 ₹ मासिक निश्चित हुआ। इस पर 5 प्रितशत महंगाई भत्ता एवं 500 ₹ प्रित माह नगर क्षितपूरक भत्ता देय था। 1 मार्च, 2022 को वेतन पुनरीक्षण के कारण 17,500 ₹ अविशिष्ट राशि भी प्राप्त हुई।

- (2) दौरा भत्ता 4,000 ₹।
- (3) अतिरिक्त समय कार्य भत्ता 3,000 ₹।
- (4) कर्तव्य-पालन के व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता 1,500 ₹।
- (5) किराया मुक्त आवास जिसका शासकीय नियमों के अनुसार किराया 300 ₹ प्रति माह है, जबिक ऐसे मकान का उचित किराया 1,500 ₹ प्रति माह होता है। फर्नीचर की लागत 40,000 ₹ है।

- 6) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड में उनका अंशदान वेतन का 8.33 प्रतिशत है।
- (7) समूह बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान 400 ₹ है।
- (8) कर्मचारी द्वारा चुकाया गया प्रोफेशनल टैक्स 500 ₹ एवं आय कर 6,200 ₹।
- (9) मनोरंजन भत्ता 500 ₹ प्रति माह।

 कर-निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर-योग्य वेतन की

 गणना कीजिए। उनका वेतन अगले माह की पहली तारीख
 को देय होता है।
- Mr. D. Shri Nivasan is a Government officer.

 During the previous year 2021-22 his emoluments

 were as under:
- (1) Basic salary ₹ 12,000 per month, Dearness allowance 150% of salary (under the terms of employment), city compensatory

allowance ₹ 200 per month. From 1st

January, 2021 his salary has been revised

at ₹ 36,000 per month. 5% D.A. and ₹ 500

per month city compensatory allowance are

payable. On 1st March, 2022 he gets

₹ 17,500 as arrears on account of salary

revision.

- (2) Tour Allowance ₹ 4,000.
- (3) Overtime Allowance ₹ 3,000.
- (4) Special Allowance for duty performance
 ₹ 1.500.
- (5) Rent free house rent of which is ₹ 300 per month according to government rules, fair rent of such house is ₹ 1,500 per month.
 Cost of furniture ₹ 40,000.

- (6) His contribution to Statutory Provident Fund is 8.33%.
- (7) Employer's contribution to Group Insurance Scheme ₹ 400.
- (8) Professional tax ₹ 500 and Income tax ₹ 6,200 paid by the employee.
- (9) Entertainment Allowance ₹ 500 p.m.
 Compute taxable salary for the assessment year
 2022-23. The salary becomes due on 1st day of next month.

अथवा / OR

मिस्टर यशवंत आगरा में आयकर अधिकारी हैं। उनका मकान आगरा में है जो 1 फरवरी, 2021 को बना है तथा अपने स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इस मकान के निर्माण के लिए उसने 1 अगस्त, 2019 को 70,000 ₹ का ऋण 12% प्रतिवर्ष के ब्याज पर लिया। इस ऋण में से कुछ भी वापसी भुगतान नहीं हुआ है।

इस मकान के सम्बन्ध में अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार हूं

₹

नगरपालिका मूल्य नगरपालिका कर

24,000 उपर्युक्त का 10%

मरम्मत

7,000

ऋण पर ब्याज

8,400

आगरा के मकान का नगरपालिका कर बकाया है।

मिस्टर यशवंत का 1 अक्टूबर, 2021 को कोलकाता स्थानान्तरण हो गया जहां वह 5,000 ₹ प्रति माह के किराये

के मकान में रह रहा है तथा उसका आगरा का मकान 1

दिसम्बर से 2,000 ₹ प्रतिमाह के किराये पर उठा दिया गया। कर-निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए मि. यशवंत की

Mr. Yashwant is an Income tax officer at Agra. He owns a house at Agra which was constructed on

मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

1st February, 2021 and was occupied by him for his own residence. He took a loan of ₹ 70,000 on

1st August, 2019 @ 12% p.a. interest.

Other information in respect of the house is as under:

Municipal valuation

24,000

Municipal tax

10% of the above

Repairs

7.000

Interest on loan

8,400

The municipal tax of Agra house is unpaid.

Mr. Yashwant was transferred to Kolkata on 1st October, 2021 where he resides in a house taken on rent of ₹ 5,000 per month and his house at Agra was let out on 1st December on rent of ₹ 2,000 per month.

Compute Mr. Yashwant's taxable income from house property for the assessment year 2022-23.

इकाई-III / UNIT-III

- Q. 3. निम्न सूचनाओं के आधार पर अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए:
 - (1) करदाता को अपने पुत्र के विवाह पर अपने दोस्तों से 1,00,000 ₹ मिले।
 - (2) गत वर्ष में न्यायालय की डिक्री के अनुसार क्षतिपूर्ति पर 40,000 ₹ ब्याज के प्राप्त हुए।
 - (3) अप्रकटित आय 2,00,000 ₹।
 - (4) लॉटरी से जीत 70,000 ₹ (शुद्ध)।
 - (5) डाकखाने के बचत बैंक खाते पर ख्याज 4,000 ₹।
 - (6) परिवार पेंशन 60,000 ₹।

From the following information compute income

from other sources :

(1) ₹ 1,00,000 received by the assessee from his friends on the occasion of the marriage of his son.

- (2) Interest on enhanced compensation of ₹ 40,000 received as per court decree during the previous year.
- (3) Undisclosed income ₹ 2,00,000.
- (4) Winning from lottery ₹ 70,000 (Net).
- (5) Interest on Post Office Savings Bank A/c
 ₹ 4.000.
- (6) Family pension ₹ 60,000.

अथवा / OR

व्यापार की आय की गणना करने में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्पष्टतः स्वीकृत कटौतियों को समझाइए। Explain clearly the deductions that are expressly allowed in computing the income from business under the Income Tax Act, 1961.

इकाई-IV / UNIT-IV

Q. 4. मि. गुप्ता (आयु 65 वर्ष) के निम्नांकित विवरण से उसकी कुल आय एवं कर-निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए देय आय-कर की गणना कीजिए:

मकान सम्पत्ति से सकल किराये की आय
 (10% टी.डी.एस. लागू)
 3,00,000

₹

80,000

20,000

(2) दीर्घकालीन पूंजी लाभ (आकिलत)(धारा 112 के अन्तर्गत)2,00,000

3) स्वयं के व्यापार का लाभ 6,00,000

4) लाटरी से आय (सकल)

) शुद्ध कृषि आय 40,000

(6) उच्च शिक्षा हेतु लिए गये ऋण परब्याज की वापसी

(7) दीर्घकालीन पूंजी लाभ

(धारा 112 A के अन्तर्गत) 1,30,000

From the following particulars of Mr. Gupta (age 65 years), calculate his total income and tax payable by him for the assessment year 2022-23:

₹

(1) Rent income (gross) from
let-out house properties

(subject to 10% TDS)

3,00,000

2,00,000

(2) Long-term Capital Gain U/s 112 (computed)

(3) Profit from own business 6,00,000

4) Income from lottery (Gross) 80,000

(5) Net Agricultural Income

40,000

(6) Repayment of Interest on loan taken for higher education

(7) Long-term capital gain (U/s 112 A)1,30,000

NJ-1213

P.T.O.

20,000

NJ-1213

निम्नलिखित कटौतियों को समझाइए:

- (i) धारा 80 G
- (ii) धारा 80 E
- (iii) धारा 80 D
- (iv) धारा 80 C
- (v) धारा 80 U

Discuss the following deductions:

- (i) Section 80 G
- (ii) Section 80 E
- (iii) Section 80 D
- (iv) Section 80 C
- (v) Section 80 U

इकाई-V / UNIT-V

Q. 5. कर नियोजन, कर बचाव व कर-अपवंचन को परिभाषित कीजिए। इनके मध्य अन्तर बताइये।

NJ-1213

(15)

Define Tax planning, Tax-avoidance and Tax-evasion. Distinguish among them.

अथवा / OR

अर्थदण्ड के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Discuss various provisions of Income Tax Act regarding penalties.